सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं. RCMS 2019/00027

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : ओ.पी.जैन आर0ए0एस0

निगरानी प्रकरण सं0 07/2019

1. उमेश बुडानिया पुत्र श्री सुभाषचन्द्र निवासी वार्ड नम्बर 05, चक 3 क्यू दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत दौलतपुरा।
2. श्रीमती शारदा देवी पत्नी स्व0 रणजीत तरड़ जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. मंगेज तरड़ पुत्र स्व0 रणजीत तरड़ जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. प्रदीप कुमार पुत्र स्व0 रणजीत तरड़ जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर

गैरनिगरानीकर्ता

उपस्थित :

1. श्री सर्वजीत सिंह संधू अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री परमजीत सिह चन्दी अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता
3. सचिव ग्राम पंचायत दौलतपुरा

:: आदेश :: **दिनांक :– 11.07.2019**

प्रस्तुत निगरानी का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता वार्ड नम्बर 05, चक 3 क्यू दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर का स्थायी निवासी है, जागरूक नागरिक तथा मतदाता है। निगरानीकर्ता को पता चला की गैर निगरानीकर्तागण संख्या 02 ता 04 के पूर्वज स्व0 रणजीत दौलतपुरा द्वारा प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 05.07.2004 को गांद दौलतपुरा की आबादी में जगह पैमाइशी 50 गुणा 50 तथा 21 गुणा 70, 63 गुणा 39 कुल 6427 वर्गफीट का पट्टा जारी किया गया, जबकि उपरोक्त पट्टा बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के मिलीभगत कर जारी किया व करवाया गया है क्योंकि ऐसा पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा ना तो कोई विधिक प्रक्रिया अपनायी गई तथा ना ही कोई आपत्ति सूचना प्रकाशित की गई तथा ना ही ग्राम पंचायत की कोई मीटिंग हुई तथा ना ही प्रस्ताव पास किया गया ना ही कोई कमेटी गठित कर मौका देखा गया बल्कि उपरोक्त पट्टा के सम्बन्ध में निगरानीकर्ता को अब जानकारी हुई तो उसने पंचायत से पट्टा की नकल देने के लिए आग्रह किया तो पता चला कि ऐसे किसी पट्टा का रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में मौजूद ही नहीं है। इस प्रकार पट्टा साजिश कर गलत तौर से जारी करवाया गया है क्योंकि गैर निगरानीकर्ता 2 ता 4 के द्वारा अब जब निर्माण कार्य करवाने का प्रयास किया गया तभी निगरानीकर्ता को पंचायत से पता करने पर उपरोक्त जानकारी हुई। इस प्रकार पट्टा को निरस्त किया जाना आवश्यक है। कब्जा गैर निगरानीकर्ता सख्या 02 ता 4 का अवश्य है मगर पट्टा रणजीत तरड़ ने अपने जीवनकाल में मिलीभगत कर फर्जी बनवाया गया। चूंकि पंचायत रिकॉर्ड में उपरोक्त पट्टा का कोई

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

इन्द्राज ही मौजूद नहीं है। इस प्रकार पट्टा का रिकॉर्ड ना होने के कारण पट्टा की प्रमाणित प्रति पेश करना सम्भव नहीं है। लिहाजा निगरानी स्वीकार की जाकर पट्टा दिनांक 07.07.2004 ग्राम पंचायत दौलतपुरा जो कि रणजीत तरड़ के नाम जारी किया गया को खारिज करने का आदेश फरमाया जावें।

निगरानी से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत दौलतपुरा द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व ना तो कोई विधिक प्रकिया अपनायी गई तथा ना ही कोई आपत्ति सूचना प्रकाशित की गई। तथा ना ही ग्राम पंचायत द्वारा कोई रिकॉर्ड देखा गया। उक्त पट्टा का ग्राम पंचायत के खसरा रजिस्ट्रर में भी कोई अंकन नहीं है एवं पट्टा पर सरपंच ग्राम पंचायत एवं पट्टा धारी के भी कोई हस्ताक्षर नहीं है। ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में पट्टा बही भी नहीं है। अतः ग्राम पंचातय दौलतपुरा द्वारा जारी पट्टा खारिज कर निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जावें।

अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि पट्टा नियमानुसार जारी किया गया है। पट्टा जारी करने से पूर्व सूचना प्रकाशित की गई थी एवं रसीद जारी हुई है। सरपंच ग्राम पंचायत बदलने पर पार्टी बाजी में रिकॉर्ड को खुर्द-बुर्द कर दिया गया । गैरनिगरानीकर्तागण 1998 से पूर्व से 50 वर्षो से भी अधिक समय से काबिज है। वर्ष 2004 में पट्टा पूरी प्रकिया अपनाई जाकर जारी किया गया है। अतः निरगानीकर्ता की निगरानी खारिज फरमाई जावें।

सचिव ग्राम पंचायत दौलतपुरा ने ग्राम पंचायत की तरफ से अपनी बहस में कथन किया कि पट्टा वर्ष 2004 में जारी किया गया है जो नियमानुसार प्रस्ताव लेकर जारी किया गया है। वर्तमान में मुझे मिसल पट्टा व पट्टा बही चार्ज में नहीं मिलने के कारण रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। पट्टा जो जारी किया गया है वह पुराने कब्जा के आधार पर जारी किया गया है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि निगरानीकर्ता द्वारा अपनी निगरानी में उक्त विवादित अहाता में गैरनिगरानीकर्तागण के काबिज होने की बात लिखी है एवं गैर निगरानीकर्तागण ने भी उक्त विवादित आहाता पर अपना कब्जा 50 वर्ष पुराना होना बताया है। सचिव ग्राम पंचायत दौलतपुरा ने भी पट्टा जो जारी होना बताया वह कब्जा के आधार पर जारी होना बताया है। इससे स्पष्ट है कि गैरनिगरानीकर्तागण को जो पट्टा जारी किया गया है वह विधिसम्मत् एवं विधिक प्रकिया अपनाई जाकर जारी किया गया है। फलस्वरूप निगरानी सारहीन होने से खारिज होने योग्य है। प्रस्तुत निगरानी बहस एवं रिकॉर्ड के आलोक में निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है।

आदेश की प्रमाणित प्रति ग्राम पंचायत दौलतपुरा को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 11.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी.जैन)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन),श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)